सेवा में,

श्रीमान अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय – भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं यशोदा देवी पति श्री गणेश यादव ग्राम मु०नि०, बजरंग नगर टोला झुमरी तिलैया थाना तिलैया जिला कोडरमा (झारखण्ड) का निवासी हूं मुझे निम्न वर्णित भूमि का बिक्री करना है :-

1. मौजा मोरियावां ।
2. थाना तिलैया
3. थाना नं० 2 दो ।
4. खाता नं० 37 सैंतीस ।
5. प्लॉट नं० 222 दो सौ बाईस ।
6. रकबा 8 आठ डी० ।
7. भूमि का किस्म
8. अद्यतन रसीद नं० 0592817447 दिनांक 5/4/2023
9. दा० खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा ।

नि० यशोदा देवी

विश्वासभाजन

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...167.... / 2023

03.04.2023

आवेदिका यशोदा देवी पति गणेश यादव, साकिन–बजरंग नगर, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
मोरियावा	2	37	222	8 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18/04/2023 को प्रस्तुत करें।

08/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

18.04.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मोरियावा, थाना नं0–2, खाता सं0–37, प्लॉट सं0–222, रकवा–8 डी0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–158 भाग संख्या–16 पर यशोदा देवी पति गणेश यादव के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–1471 दिनांक–07.03.2011 द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0–1977/2011–12 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या–132 दिनांक 03.01.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–मोरियावां, थाना नं0–2, खाता सं0–37, प्लॉट सं0–222, रकवा–8 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

18/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:51:25 +05:30
Location: 192.168.29.246